19/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
उपस्थित नही है। प्रार्थी / वादि
का मूलवाद खारिज हो चुका है।
वाद के अभाव मे प्रार्थना-पत्र टीआई
के चलाये जाने का कोई औचित्य
नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-
पत्र टीआई इसी स्तर पर अस्वीकार
कर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (रा...

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested